हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 अगस्त, 1972

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 18 अगस्त, 1972

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
कार्यमन्त्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन	(4)16
अनुपूरक अनुमान (प्रथम किश्त) 1972–73 पेश करना	(4)17
अनुपूरक अनुमान (प्रथम किश्त) 1972–72 पर प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पेश करना	(4)17
लोक लेखा समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन पेश करना	(4)17
बिल्जः–	
पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) 1972	(4)17
पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्रयूस मार्किट्स (हरियाणा वैलिडेशन) 1972	(4)19
पंजाब सैप्रेशन आफ जुडिशियल ऐंड ऐग्जैक्टिव फंक्शन्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) 1972	(4)22
पंजाब मोटर वैहिंकल्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) 1972	(4)24
सरकारी संकल्प	(4)26

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 18 अगस्त, 1972

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Improvement of Railway Station Faridabad

***40. Sh. K.N. Gulati:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government, to take up the matter with the Government of India, Ministry of Railways, to improve the Faridabad Railway Station for giving more facilities to the passengers and goods traffic of that area?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): नहीं।

Loans to Harijans from the Haryana Harijan Kalyan Nigam

***113. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Development be pleased to state the names of Harijans who have received loans from the Haryana Harijan Kalyan Nigam, in the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72, separately, together with their addresses and amount so received by each applicant, separately?

Development Minister (Sh. Shyam Chand): The Haryana Harijan Kalyan Nigam Limited was incorporated on 12th January, 1971. As such no loans were given in the years 1969-70 and 1970-71. The time and labour involved in the collection of information regarding loans given in the year 1971-72 by the Nigam will not be commensurate with the benefit likely to be achieved.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, पहले सैशन में भी हरिजन कल्याण निगम पर क्वैश्चन आया था, उस वक्त भी इसको इग्नोर कर दिया गया था। इन्होंने जवाब में लिखा है कि 1969–70 और 1970–71 में कोई कर्ज नहीं दिया गया। ठीक है नहीं दिया और इसका सवाल भी पैदा नहीं होता, लेकिन 1971–72 में कोई कर्ज नहीं दिया गया। ठीक है नहीं दिया और इसका सवाल भी पैदा नहीं होता, लेकिन 1971–72 में कर्जे, दिए गए हैं। 1971–72 की इन्फर्मेशन को कौलक्ट करने में कौन सा टाईम फैक्टर इन्वाल्वड है ? यह बहुत जरूरी क्वैश्चन है, इसका जवाब आना चाहिए। स्पीकर साहब, आप इस क्वैश्चन को किसी और डेट में रख दें ताकि आनरेबल मिनिस्टर साहब जवाब दे सकें।

श्री अध्यक्षः आपने सारे ऐप्लीकेन्ट्स के नाम और ऐड्रैस पूछे हैं दृ

चौधरी दल सिंहः 1971–72 की इन्फर्मेशन कलैक्ट करने के लिए कितनी देरी लगती है ?

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जैसा कि उन्होंने जवाब में बताया है कि निगम की स्थापना 12–1–71 को हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि 12–1–71 को निगम के लिए कितना अमाऊंट रखा गया था ?

श्री श्याम चन्दः 45 लाख रूपया।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 45 लाख रूपये में से कितना कर्जा दिया गया ?

Sh. Shyam Chand: Rs. 2397750.

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या वजीर साहब बताने की तकलीफ करैंगे कि कर्जा देने के बाद सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि कर्जे का इस्तेमाल ठीक ढंग से हुआ है कि नहीं ? क्या इस किस्म की कोई इन्क्वायरी कराई जाती है कि कर्जा प्रौपर पर्सन को दिया गया हैं या नहीं ?

Sh. Shyam Chand: In each district, we have posted one field officer and he is fully responsible. He gives the report to the Nigam for the proper utilization of the loan.

चौधररी राम लाल वधवाः मंत्री महोदय ने बताया है कि 45 लाख रूपया निगम को दिया गया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस 45 लाख रूपये में से इंडिविज्वल्ज को कितना दिया गया और फर्मों तथा सोसायटियों को कितना दिया गया है ?

Sh. Shyam Chand: We have advanced loan to 584, out of which 7 are co-operative societies. The rest are individuals.

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री साहब बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाईज या ट्रेडवाईज कितना कितना कर्जा दिया गया है ?

श्री श्याम चन्द: इस किस्म का सप्लीमैंटरी मेन क्वैश्चन से अराईज नहीं होता। अगर मेम्बर साहब जवाब चाहते हैं तो सैप्रेट नोटिस दें, जवाब दे दिया जायेगा।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय के नोटिस में इस किस्म की कोई शिकायत आई है कि लोन गलत आदमियों को बांटा गया ? पिछले साल जो रूपया रखा गया था उसमें से 23 लाख रूपया बाकी बचा था जोकि बिल्कुल गलत तरीके से बचाया गया था। इसके अलावा जो रूपया बांटा गया हे वह उन हरिजनों को दिया गया है जिनको जरूरत नहीं थी और जिन को जरूरत थी उनको नहीं दिया गया। क्या इस किस्म की शिकायत सरकार के नोटिस में आई हैं ?

Sh. Shyam Chand: Sir, there is a Board of Directors. After considering the applications, the loan is granted. It is very difficult to know whether the applicant is in need of loan or not. Actually, only those applicants applied, who were in need of loan.

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो कर्जा दिया गया है वह किस किस काम के लिए दिया गया है ?

Sh. Shyam Chand: Sir, we have issued a booklet and all the particulars are given there. That is a public document. The Hon. member can refer to that document.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या ठीक है कि अम्बाला जिले के हरिजनों को ऐसी ग्रांटें और कर्जे बहुत कम दिए गए हैं ?

श्री श्याम चन्दः किस किस्म का कर्जा ?

श्रीमती चन्द्रावतीः मिनिस्टर साहब ने बताया कि 584 को लोन दिया गया जिन में से 7 कोआप्रेटिव सोसायटीज हैं। क्या इसका मतलब हम यह समझें, कि कोआप्रेटिव सोसायटीज के मुकाबले में इंडिविज्वल्ज को लोन देने में प्रैफैंस दी जाती है ?

श्री श्याम चन्दः कोआप्रेटिव सोसायटीज कम थीं जिन्होंने एप्लाई किया था। इंडिविज्वजल ज्यादा थे।

श्री निहाल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कुल कितने अमाउंट की ऐप्लीकेशन्ज रिसीव हुई हैं ? जो बाकी रह गई हैं उन को क्यों लोन नहीं दिया गया ?

Sh. Shyam Chand: Sir, in addition to Rs. 23 lakhs, we have sanctioned a loan of Rs. 1880850/- and that loan is

yet to be disbursed, because there were certain difficulties. In the case of applications for loans for taxis and tempos, unless the applicant is able to get a permit or a vehicle, we cannot advance loan. Certain loan advances are given in installments, and we are paying those instalments.

चौधरी मेहर चन्द: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या गवर्नमैंट के पास कोई ऐसी प्रोपोजल अंडर कंसीड्रेशन है। जिसकी रूह से हरिजन कल्याण निगम से हरिजनों को कांस्टीच्युएंसी वाईज लोन दिया जाएगा ? आजकल जो लोन दिया जाता है वह अन–इवन ढंग से दिया जाता है और उसकी डिस्ट्रिब्यूशन ठीक ढंग से नहीं हो रही, इसलिए कांस्टीच्युएंसी वाईज लोन दिया जाना चाहिए।

Sh. Shyam Chand: Sir, Nigam will make every possible effort to advance loans constituency wise. But in certain cased when it is difficult to advance loans constituency wise, the loan will be advanced sub-division wise.

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा: क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक इंडिविजुवल को मैक्सिमम लोन दैने की क्या कोई लिमिट है, यदि है तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है ? क्या पहले वैरिफिकेशन की जाती है ?

Sh. Shyam Chand: Upto rupees ten thousand after verification.

श्री अमर सिंहः क्या आनरेबल मिनिस्टर बताने की कृपा करेंगे कि वे सात कोआप्रेटिव सोसाइटीज कौन कौन सी हैं जिन को लोन दिया गया है और उनको कितना कितना अमाउंट दिया गया है ?

Sh. Shyam Chand: M/s Chhajju Ram, Ram Kishan, M/s Mahabir and Co.....

श्री अमर सिंहः कृपया ऐड्रैस भी बताएं।

श्री अध्यक्षः क्या ऐड्रैस नहीं है आपके पास ?

श्री श्याम चन्दः जी नहीं। I have got only this information.

श्री अमर सिंहः फिर नाम और अमाउंट ही बता दो।

Sh. Shyam Chand:

Sr.	**Name**	**Amount**
	M/s	**50000**
1	Chhajju Ram, Ram Kishan, Rewri	50000
2	Mahabir and Co., Gurgaon	50000
3	Kakrod Automobiles, Jind	50000
4	Fatehabad Automobiles, Fatehabad	50000

5	Reliable Automobiles, Bahadurgah	50000
6	Bhag Chand Banwari Lal, Rohtak	50000
7	Guru Ravi Dass Automobiles, Sirsa	50000

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में गवर्नमैंट की तरफ से जवाब आया था कि हरिजन कल्याण निगम से हरिजनों के लिए जिला जींद को 60 हजार कर्जा दिया गया है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या उस कर्जे की डिस्ट्रिब्यूशन हो गई है या नहीं ?

श्री श्याम चन्दः जिला जींद में 66300 रूपये की पेमैंट हो गई है।

चौधरी मनफूल सिंहः अभी वजीर साहब ने फरमाया कि लोन की मैक्सिमम लिमिट 10 हजार रूपये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि 10 हजार लोन वालों से क्या सिक्योरिटी ली जाती है और पांच हजार वालों से क्या ली जाती है ?

श्री श्याम चन्दः दस हजार रूपये तक मूवएबल और इम–मूवएबल प्रोपर्टी की सिक्योरिटी लेते हैं।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्होंने जिन फर्मों को 50–50 हजार रूपया देने के बारे में बताया है क्या उनमें से दो ऐसी है जिनकी फर्म का वजूद ही नहीं है और न ही उनके जमानती मिल रहे हैं ?

Sh. Shyam Chand: We have no information like that.

राव अभय सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो लोन है इसे डिस्ट्रिकट वाइज या सब डिविजन वाइज प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रिब्यूट करने की क्या स्कीम बनही हुई है ? यदि नहीं बनी हुई है तो क्या आयंदा बनाने की तजवीज है ?

Sh. Shyam Chand: I have already replied to this question.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, दो प्रोफार्मे गवर्नमैंट की तरफ से इशू हुए हैं। एक प्रोफार्मा पहले बना हुआ था और एक बाद में बनाया गया है। पहले जो प्रोफार्मा था उसमें सिक्योरिटी का कालम नहीं रखा गया था। तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आया आपने दो प्रोफार्मे इशू किए हैं या नहीं किए ? यदि किए हैं तो पहले प्रोफार्मे में सिक्योरिटी का कालम था या नहीं था ? यदि नहीं था तो इसका क्या कारण है ?

Sh. Shyam Chand: There is no proforma. There is an application form.

श्री अमर सिंहः क्या आनरेबल मिनिस्टर महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस निगम के कर्जे आयंदा बांटने के लिए 'ए' क्लास ओर 'बी' क्लास बनाने के लिए तैयार हैं और 'ए' क्लास में पोलिटिकली, सोशली और इकौनोमिकली ऐडवांस्ड लोग हों और बी क्लास में बिल्कुल पिछड़े हुए लोग, जिनको आज तक मौका नहीं मिला है, हों। क्या इस तरह की स्कीम बनाने के लिए वे तैयार हैं ?

Sh. Shyam Chand: Actually we are trying to disburse loans on the basis of population of each community.

श्री अध्यक्षः लास्ट सप्लीमैंटरी पंडित चिरन्जी लाल जी की होगी क्योंकि अब तक कोई 20 सप्लीमैंटरीज हो चुकी है।

पंडित चिरन्जी लाल शर्माः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई सिक्योरिटी न दे सके, पांच हजार और दस हजार मूवएबल और इम–मूवएबल प्रोपर्टी की, तो आप उसे कर्जे से महरूम रखेंगे ?

श्री श्याम चन्दः स्माल लोन श्योरिटी के ऊपर भी दे दिया जाता है, लेकिन यदि बड़ा लोन हो तो हम रिस्क नहीं ले सकते।

Chairman of Labour Court

***117. Sh. Girish Chander Joshi:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether the term of the Chairman, Labour Court has expired;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint another Chairman of the Labour Court; and

(c) whether the Government has any proposal under consideration to constitute a Labour Court exclusively for Faridabad to dispose of large number pending industrial disputes?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) No.

श्री गिरीश चन्द्र जोशीः क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि चेयरमैन, लेबर कोर्ट की नियुक्तिष कब तक हो जाएगी ?

Ch. Bansi Lal: As early as possible.

चौधरी राम लाल वाधवाः क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बजाये सारी स्टेट्स के लिए लेबर कोर्ट होने के और पेमैंट आफ वेजिज और मिनिमम वेजिज डिसप्यूअस लेबर औफिसर्ज को देने के डिस्ट्रिकट हैडक्वार्टर पर सैशन जज को ही ये सारी लेबर लाज

की पावर्ज देकर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दी जाए ताकि एक जगह से दूसरी जगह टूर करने का कोर्ट का जो खर्चा पड़ता है वह बच जाए और लोगों की जो तकलीफ होती है वह दूर हो जाए ?

चौधरी बंसी लालः जी नहीं।

श्री गिरीश चन्द्र जोशीः क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद के बारे में स्टेट लेबर ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में क्या इस तरह की कोई बात आई थी, यदि आई थी तो उसका क्या फैसला हुआ था ?

चौधरी बंसी लालः मुझे लेबर ऐडवाइजरी कमेटी की प्रौसीडिंग्ज का तो पता नहीं क्या थीं, मगर कोर्ट का हैडक्वाटर फरीदाबाद है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल के लिए 6–6 महीने की ऐक्सटैन्शन दी जाती है जिससे काम पैंडिग पड़ जाता है और अप्वायंटमैंट्स में देर होती है इसलिए क्या इनकी पर्मानैन्ट अप्वायंटमैंट नहीं की जा सकती ?

चौधरी बंसी लालः आनरेबल मैम्बर को, स्पीकर साहब, शायद पता नहीं कि 6–6 महीने की कभी ऐक्सटैन्शन नहीं दी जाती, पांच साल के लिए एक ही बार अप्वायंट करते रहे हैं।

श्री गिरीश चन्द्र जोशीः लेबर बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति जलदी करना स्पीकर साहब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सैक्शन 32, सी0पी0सी0 के तहत केसिज और कोर्ट में नहीं जा सकते, वे केवल लेबर कोर्ट में ही जा सकते हैं। अगर इसके चैयरमैन की नियुक्ति जल्दी नहीं हुई तो लेबर को तकलीफ होगी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इन हालात को देखते हुए क्या लेबर कोर्ट के चेयरमैन की नियुक्ति जल्दी करेंगे ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया है कि हाल ही में यह जगह खाली हुई है और हम जल्दी से जल्दी इसे भरने की कोशिश करेंगे ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया है कि हाल ही में यह जगह खाली हुई है और हम जल्दी से जल्दी इसे भरने की कोशिश करेंगे।

श्री के0एन0 गुलाटीः क्या मुख्य मंत्री जी विश्वास दिलाएंगे कि मजदूर के हर डिसप्यूट का फैसला आयंदा एक महीने के अन्दर अन्दर कराया जाएगा ?

चौधरी बंसी लालः मेरी राय में तो यह नामुमकिन बात है।

श्री के0एन0 गुलाटीः मजदूर लोग क्योंकि ज्यादा देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बात पर जरूर विचार किया जाए।

Eradication of Mosquitoes from Faridabad

***41. Sh. K.N. Gulati:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to eradicate the mosquito menace in Faridabad township area and the Faridabad complex as a whole?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): No.

(शोर)

श्री के0एन0 गुलाटी: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे .....

श्री अध्यक्ष: गुलाटी साहब, तशरीफ रखिए, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं। आपने प्रश्न किया कि क्या वहां मच्छर खत्म करने की सरकार की कोई स्कीम है, उन्होंने जवाब दिया नहीं। अब आप सप्लीमैंटरी क्या करना चाहते हैं ?

श्री के0एन0 गुलाटी: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब एज ए आर्डिनरी मैन वहां एक रात के लिए ठहरें, उन्हें पता लग जाएगा कि वहां कितने मच्छर हैं। ..... (विघ्न)

गृह मंत्री (श्री के0एल0 पोसवाल): स्पीकर साहब, कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जिन्हें न माने से मलेरिया फैलता है लेकिन कुछ ऐसे होते है जिन्हें मारना नहीं चाहिए। (हंसी)

Smt. Chandravati: Sir, the Hon. Chief Minister has told that there is no scheme to eradicate mosquitoes. Is there any scheme to breed them?

Ch. Bansi Lal: There is already so much rubbish in the town that they can be very well looked after by that.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि फरीदाबाद टाउनशिप के मौसकिटोज को खत्म करने की कोई स्कीम नहीं है लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री के0एन0 गुलाटी के घर के मच्छर मरवाने की कोई स्कीम हैं ? (हंसी)

चौधरी बंसी लाल: इससे पहले भी गुलाटी साहब ने एक और सप्लीमैंटरी पूछा था जो बहुत ही रेलैवन्ट था। उन्होंने पूछा था कि सीवरेज का कमा कब तक कम्पलीट हो जायेगा। इस क्वैश्चन के साथ उस सप्लीमैंअरी की रैलेवन्सी बनती है। फरीदाबाद कम्पलैक्स में तीन म्युनिस्पिल कमेटीज और 15 ग्राम पंचायतें हैं उन सब को मिला कर कम्पलैक्स बना है। एन0आई0टी0 फरीदाबाद का जो एरिया है, उसके लिए 62 लाख 38 हजार रूपया सीवरेज स्कीम के लिए सैंक्शन किया गया था जिसमें से 52 लाख 48 हजार रूपया दिया जा चुका है। बल्लभगढ़ की सीवरेज स्कीम के लिए आठ लाख सत्तर हजार रूपया सैक्शन किया गया था जिसमें से आठ लाख 35 हजार रूपया दिया जा चुका है।

मलेरिया इरेडिकेशन के बारे में लास्ट ईयर इस किस्म की शिकायत आयी थी कि कई जगहों पर मलेरिया हो गया था। मलेरिया को चैक करने के लिए, मम्छर मारने के लिए गवर्नमैंट आफ इंडिया की मलेरिया इरेडिकेशन स्कीम के तहत सन् 1972–73 में 19 लाख रूपये का प्रोविजन था लेकिन पिछले साल मलेरिया के अधिक फैल जाने के कारण हमने 27 लाख 10 हजार रूपया सैंक्शन किया है ताकि मलेरिया के दिनों में कम से कम डी0डी0टी0 के दो राउन्ड हो सकें।

श्री के0एन0 गुलाटीः फरीदाबाद 'ए' क्लास सीटी है। क्या सरकार ने वहां पर पानी की नालियां बनाने के लिए, यूरेनल के लिए, लैटरीन के लिए और डस्टबिन्ज के लिए कोई प्रबंध किया है ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, कुछ तो प्रबन्ध कर दिया है, कुछ नहीं भी किया गया है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि जितनी सुविधायें होनी चाहिएं उतनी वहां हैं। परन्तु हमारा कम्पलैक्स बनाने का इरादा यही था कि फरीदाबाद बहुत लम्बा दूर तक फैला हुआ कस्बा बन गया है और अन प्लांड तरीके से बसाया गया है। दिल्ली के बार्डर से शुरू होकर 15–16 मील तक चला गया है। इन सब चीजों को कन्ट्रोल करने के लिए, सफाई का प्रबंध करने के लिए यह कम्पलैक्स बनाया गया है ताकि कम्पैक्ट तरीके से सब चीजें हो सकें।

श्री के0एन0 गुलाटीः क्या वहां कच्चे सीवरेज को पकके करने की स्कीम हैं ?

चौधरी बंसी लालः ए0सी0सी0 से सीमेंट चाहिए तो दिला देंगे, पक्का वह करवा दें। (हंसी)

श्री के0एन0 गुलाटीः स्पीकर साहब, इस बारे में हमे बहुत दिक्कत हैं। चीफ मिनिस्टर साहब तो इस मामले को बहुत लाइटली ले रहे हैं। स्पीकर साहब, यह बात भी बड़ी सीरियस है। फरीदाबाद में प्राईवेट स्वीपर्स गन्दगी फेंक जाते हैं, क्या उनको कन्ट्रोल करने के लिए सरकार ने कोई फैसला किया है ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, प्राइवेट स्वीपर्स को तो इन्हें ही कन्ट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये वहां की पब्लिक के री–प्रैजेन्टेटिव हैं। (हंसी)

चौधरी मेहर चन्दः क्या गुलाटी साहब सारे हाउस को रूलाना चाहते हैं जो कि हंसने की इजाजत नहीं देने देते ?

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः क्या गवर्नमैंट को यह इल्म है कि फरीदाबाद के जहरीलै मच्छर यूनियन टेरेटरी चन्डीगढ़ में भी दाखिल हो गये हैं ? यदि दाखिल हो गये हैं तो क्या उन पर पाबन्दी लगायी जायेगी ? (हंसी)

चौधरी बंसी लालः डैमोक्रैसी में हम किसी पर पाबन्दी नहीं लगा सकते।

श्री के0एन0 गुलाटीः हम यह चाहते हैं कि वहां पर वार लैवल पर काम हो।

श्री अध्यक्षः मैं आपको बतला रहा हूं। आप तशरीफ रखिए। (विघ्न) मुख्य मंत्री जी ने अभी यहां बताया है कि फरीदाबाद को कम्पलैक्स बनाया गया है ताकि वहां सफाई का इन्तजाम हो सके और सीवरेज आदि का इन्तजाम हो सके और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां कम्पलैक्स बनाया गया है।

श्री के0एन0 गुलाटीः मैं तो यह चाहता हूं कि वहां पर वार लैवल पर काम हो, लोगों को काफी तकलीफ है।

डाक्टर ओम प्रकाश शर्माः स्पीकर साहब, हरियाणा विधान सभा में जो एक दो मच्छर आ घुसे हैं इनके लिए आपके पास कोई आलटरनेटिव हैं ?

Employees of Jind Milk Plant

***118. Ch. Dal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the total strength of Class I, II, III and IV employees of Jind Milk Plant as at present;

(b) the total number of the said employees recruited through Employement Exchange; and

(c) the total number of the said employees recruited directly by the management?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) Class I	1
Class II	8
Class III	103
Class IV	47
Total	**159**

(b) 53

(c) 106 (including 2 on deputation from Haryana Government Department)

चौधरी दल सिंहः मुख्य मंत्री जी ने अभी मेरे प्रश्न के उत्तर में फरमाया है कि क्लास वन 1, क्लास दो के 8, क्लास तीन के 103 और क्लास फोर के 47 आदमी जीन्द मिल्क प्लान्ट में रखे गए हैं, यानी कुल 159 आदमी रखे गए हैं। इनमें से 106 कर्मचारी ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिक्रूट किये गये हैं, यानी उनकी डायरेक्ट अप्वायंटमैंट की गयी है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि हर क्लास के कितने कितने एम्पलाइज डायरैक्ट भर्ती किये गये हैं ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, अलग अलग क्लासिज की फिगर्ज तो मेरे पास नहीं है लेकिन उनका जो सलैक्शन किया गया है वह मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया है। वे ही वहां के चीफ एग्जेक्टिव आफिसर हैं और इस कारपोरेशन के चेयरमैन हैं।

उन्होंने बाकायदा अखबारों में शाया करके, एप्लीकेशनज इन्वाट करके अप्वायंटमैंट की है। अलग–अलग कैटेगरीवाइज फिग्र्ज मेरे पास नहीं है।

चौधरी दल सिंहः जब हमारे यहां एस0एस0एस0 बोर्ड हैं, एम्पलायमैंट एक्सचैंज है, फिर क्या वजह है कि डायरेक्ट भर्ती किय जाते हैं ? क्या किसी खास आदमी को रियायत देने के लिए ऐसा किया जाता है ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, ये हाउस को मिस–लीड करने की बात कर रहे हैं। हर रोज एक दो बार कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनको यह बता दूं कि इस तरह से वे हाउस को मिस लीड नहीं कर सकते। कारपोरेशन्ज पर हरियाणा बोर्ड की जूरिसडिकशन नहीं है, वह ऑटोनॅमस बाडी है, उनके अपने तरीके और रूलज हैं और उनके मुताबिक डायरेक्ट रिक्रूटमैंट कर सकते है।

श्री अमर सिहः जैसा कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रश्न के 'बी' पार्ट का उत्तर देते हुए बताया है कि कुल 53 आदमी एम्पलायमैंट एक्सचेंज से लिये गये हैं। मैं आपके जरिए सरकार से यह जानना चाहता हूं कि किस किस क्लास के कितने कितने एम्पलाई एम्पलायमैंट एक्सचेंज से लिये गए हैं ?

चौधरी बंसी लालः मैं इसका पहले ही जवाब दे चुका हूं। कैटेगरीवाइज फिग्र्ज मेरे पास नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्लास टू, क्लास थ्री और क्लास फोर की क्वालिफिकेशन क्या रखी गयी हैं ?

चौधरी बंसी लालः हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशनज होती है। इस समय तो मेरे पास क्वालिफिकेशनज लिखी हुई नहीं है। मैं यह बता सकता हूं कि वहां कौन कौन सी पोस्ट्स हैं ? वहां मेनेजर है, स्टाफ इंजीनियर हे, क्वालिटी कन्ट्रोल अफसर है, प्रोक्योरमैंट अफसर है, फोरमैन है, डेरी सुपरवाईजर है। ये सभी टैक्नीकल किस्म की पोस्ट्स हैं, इसलिए इनकी क्वालिफिकेशंज भी टैक्नीकल ही होंगी।

चौधरी दल सिंहः अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं हाउस को मिस–लीड करता हूं। इसमें हाउस को मिस लीड करने का सवाल नहीं है। मैंने उनस प्रश्न पूछा है यदि वे जवाब देना चाहते है तो दें यह उनकी अपनी मर्जी है। स्पीकर साहब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जब 53 आदमी तो एम्पलायमैंट एक्सचेंज से लिए है तो बाकी के बाहर से क्यों लिए हैं ? उसका क्या कारण हैं ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, कारपोरेशन्ज ने जिस क्वालिफिकेशंज के यआदमी मांगे थे, वे अगर एम्पलायमैंट एक्सचेंज से मिल गये तो उन्हें ले लिया गया। अगर वहां नहीं मिले हैं तो अड्वर्टाजमैंट करके डायरैक्ट रिक्रूटमैंट कर ली है।

चौधरी चांद रामः क्या यह लाजमी नहीं है कि जो भी भर्ती निगम में किये जायें वे एम्पलायमैंट एक्सचेंज की मार्फत करें ? एम्पलायमैंट एक्ट में यह दिया हुआ कि जो भी सरकार भर्ती करे वह एम्पलायमैंट एक्सचेंज के जरिए ही करे।

Ch. Bansi Lal: When there is a direct recruitment, there is no bar and if peopole are not availabe with the Employment Exchanges, the posts cannot remain vacant for all items to come.

चौधरी चांद रामः अगर मैं गलती पर हूं तो आप एक्ट में देख लें जो एम्पलायमैंट एक्सचेंज के लिए बना है। उसमें दिया हुआ है कि एम्पलायमैंट एक्सचेंज की मार्फत ही भर्ती करें या एस0एस0एस0 बोर्ड के थ्रू करें। अगर एम्पलायमैंट एक्सचेंज में उस क्वालिफिकेशंज के आदमी नहीं, तो वहां से नान–अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करें और फिर भर्ती करें।

चौधरी बंसी लालः ये आनरेबल मैम्बर भी हाउस को मिस लीड करने की बात कर रहे हैं। बाकायदा एम्पलायमैंट एक्सचेंज से नान–अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ले कर और एडवरटाइजमेंट करके हमने भर्ती की है। ऐसी कोई गलत बात नहीं की। बाकायदा बोर्ड बना कर वहां सिलैक्शन की गयी है। This supplementary has been asked simply to put a supplementary; that is all.

10.00 A.M.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब को कुछ गलतफहमी सी हो गई है। इसमें मिस–लीड करने वाली कोई बात है ही नहीं, जो मैंने कही हो। अगर मेरे सवाल का जवाब हां में है तो हां कहें अगर न में है तो कहें नहीं।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, सवाल पूछने से पहले ये जो भूमिका बांधते हैं, यह मिस–लीड करने के लिए बांधते हैं।

Ch. Dal Singh: There is no question of misleading. You are the authority to answer.

श्री अध्यक्षः आपको जो इन्फर्मेशन चाहिए, उसका आप सीधा सवाल कीजिये।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, पहले तो यह सवाल को इन्टरप्रैट करते हैं और फिर सप्लीमैंट्री पूछते हैं as if they know law and nobody else knows it. This is just to mislead the House.

श्री अध्यक्षः चौधरी दल सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए।

चौधरी दल सिंहः अच्छा जी। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मिल्क प्लांट में कुछ ऐसे भी कर्मचारी भर्ती किये गये हैं जो आपके चेयरमैन की मार्फत भरती न किये गये हो और किसी दूसरे ने ही रख लिये हों ?

चौधरी बंसी लालः मैं समझा नहीं।

चौधरी दल सिंहः मैं मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मिल्क प्लांट में जो कर्मचारी भर्ती किये गये हैं, क्या उनमें कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको वहां के सुप्रिन्टैडैंट ने भर्ती किया हो और निगम के चेयरमैन ने भर्ती न किया हो ?

चौधरी बंसी लालः ऐसेा कोई भी कर्मचारी नहीं है जो सिलैक्ट कमेटी द्वारा एप्रूव्ड न हो। चाहे वह किसी भी तरीके से किया गया हो, एप्रूव्ड जरूर है। यह हो सकताहै कि सिलैक्शन के टाईम मैनेजर बैठा हो या कोई दूसरा अफसर बैठा हो। अगर उसने टैलीफोन पर या चिट्ठी से चेयरमैन की परमिशन ले ली है और बाद में सिलैक्शन एप्रूव हो जाती है तो I do not think there is any irregularity.

Ch. Chand Ram: On a Point of Order, Sir.....

Ch. Bansi Lal: There cannot be any Point of Order during the Question Hour.

चौधरी चांद रामः प्रश्न काल के अन्दर प्वांयट आफ आर्डर नहीं, तो मैं सप्लीमैंट्री पूछता हूं। क्या मैं आपकी मार्फत चीफ मिनिस्टर साहब से यह जान सकता हूं कि यदि हम उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो वह मिस–लीडिंग कैसे हो जाता है ? अगर एक एक्ट में यह प्रोवीजन है कि नान अवेलेबिलिटी सर्टीफिकेट जरूर होना चाहिए और इस बात का उन्हें पता है, तो इसमें मिस लीड करने वाली कौन सी बात है, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं ?

Ch. Bansi Lal: Again this is a supplementary of a confused mind to confuse the House.

चौधरी चांद रामः अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर रूलिंग दें कि मेरा सवाल कन्फयूजड या मिस–लीडिंग है या नहीं ? किसी मिनिस्टर के लिए, जो चेयर पर नहीं बैठा है, यह कहना कि यह मिस–लीडिंग है, क्या ठीक है ?

श्री अध्यक्षः मेरा निवेदन यह है कि जब कोई प्रश्न हाउस में आता है औ उस मूल प्रश्न से कोई सप्लीमेंट्री उत्पन्न होता है तो वह सीधा पूछा जाये, बजाये इसके कि उस पर अपने विचार व्यक्त किये जायें या किसी प्रकार से पहले सरकार पर आक्षेप लगाया जाये, उसके बाद सप्लीमेंट्री पूछा जाये। यह सप्लीमैंट्री पूछन का तरीका नहीं है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, अगर मैं गलती नहीं करता, तो हाउस में सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि सर्टेन इन्फर्मेशन इलिसिट की जा सके और अगर कोई अफिसर गलती करता हो या किसी एक्ट वगैरह की इम्पलीमैंटेशन न होती हो तो गवर्नमैंट को प्वायंट आउट की जा सके। गवर्नमैंट के नोटिस में ऐसी बातें लाना, अपोजीशन का काम होता है। इसमें सरकार पर आक्षेप लगाने की कोई बात नहीं है। उस एक्ट के मातहत कोई भी आदमी कोर्ट में इसे चैलेन्ज कर सकता है, और सजा हो सकती है। मैंने तो सिर्फ इतनी बात बतायी थी कि एक्ट में यह

प्रोवीजन है। अगर उन्हें पता है तो कहें कि है अगर नहीं पता है तो कहें कि नहीं है।

Ch. Bansi Lal: He is nobody to interpret the statute on the floor of the House.

श्री अध्यक्षः आप यह भी नहीं पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा एक्ट में प्रोवीजन हैं ? ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी राय जाहिर करें कि एक्ट में ऐसा प्रोवीजन है, या इस बारे में प्रश्न काल में भाषण शुरू कर दें। आप उनसे जो भी पूछना चाहते हैं, सीधा सवाल करें ?

चौधरी चांद रामः मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता था कि क्या एक्ट का प्रोवीजन उन्होंने कम्पलाई विद किया है या नहीं किया ? मैंने जो बात कही थी उसमें मिस–लीड करने वाली तो कोई बात ही नहीं थी।

श्री अध्यक्षः इसका तो चीफ मिनिस्टर साहब जवाब पहले ही दे चुके हैं।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत चीफ मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि मिल्क प्लांट में आइन्दा जो असामियां खाली होंगी, क्या वे उनको सबार्डिनेट सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड के परव्यू में देने के लिए तैयार हैं ?

चौधरी बंसी लालः बिल्कुल नहीं। जैसे सिलैक्शन पहले की है, वैसे ही अब भी की जायेगी।

चौधरी पीर चन्द: क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो मुलाजम रखे गये हैं, क्या इनमें हरिजनों का कोटा पूरा किया गया है ?

Ch. Bansi Lal: That thing has been kept in mind while making recruitment.

Security of Service to Private Teachers

***124. Sh. Girish Chander Joshi:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide security of service to the teachers of private schools in Haryana; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to get the salary of private teachers disbursed through Government instead of being disbursed by the management of private schools?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) Security of service to teachers of private schools has already been provided through Haryana Aided Schools (Security of service) Act, 1971.

(b) No.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी: क्या चीफ मिनिस्टर महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा एडिड स्कूल्ज सिक्योरिटी आफ सर्विस एक्ट, 1971 के रूल्ज बना लिये गये हैं ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, ये रूल्ज हफ्ते दस दिन में नोटिफाई होने वाले है।

श्री के0एन0 गुलाटीः क्या मुख्य मंत्री साहब यह बतायेंगे कि पब्लिक हैल्थ के जो 3 हजार वर्क चार्जड कर्मचारी, 10 से 15 साल की सर्विस के हैं, की सर्विस की भी कोई सिक्योरिटी की जायेगी ? (व्यवधान एवं हंसी)

गृह मंत्री (श्री के0एल0 पोसवाल): गुलाटी साहब, आपने फरीदाबाद की बात नहीं की ?

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मुख्य मंत्री साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जेसे लेबरर्ज के लिए मिनिमम वेजिज फिक्स किये हुए हैं, वैसे ही इन टीचर्ज के लिए भी कोई मिनिमम वेजिज मुकरर्र किये हुए हैं ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, इन टीचर्ज के वेजिज अपने अपने स्कूलों के रूल्ज के मुताबिक हैं। हमारी तरफ से लीगली कोई भी वेजिज इनके लिए फिक्स नहीं किये हुए हैं। अलबत्ता हमने नवम्बर, 1970 में एक सरकुलर जरूर जारी किया था जिसके तहत हमने ऐसा किया हुआ है कि कोई भी गवर्नमैंट एडिड प्राइवेट स्कूल बगैर क्रास्टड चैक के किसी टीचर को सैलरी नहीं दे सकता। कहने का मतलब यह है कि प्राईवेट स्कूलों में किसी भी टीचर को अब बगैर क्रास्ड चैक दिये, पे नहीं दी जा सकती।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी टीचर्ज को जो तनख्वाहें मिल रही हैं, वही मिनिमम वेजिज, सरकार प्राईवेट स्कूलों के टीचर्ज को देने के लिए कोई कानून बनायेगी ?

चौधरी बंसी लाल: हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री के0एन0 गुलाटी: सरकारी स्कूलों में जो मदर टीचर्ज 14 साल से काम कर रही हैं, उनकी सर्विस की प्रोटैक्शन यानी सिक्योरिटी क्या है ? (हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Engineering Wage Board

***43. Sh. K.N. Gulati:** Will the Chief Minister be pleased to state the period within the recommendations of Engineering Wage Board will be implemented and the time within which gratuity scheme will be interoduced for Labourers working in all the Industries in the State?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): The Government broadly agree with the recommendations of the Chairman of Central Wage Board for Engineering Industries and efforts are being made to persuade the concerned employers to implement them. The recommendations are not mandatory and it is difficult to fix a target date. Government would, however, try to persuade the parties for their expeditious implementation. As regards gratuity scheme it would be enforced as soon as the Gratuity Bill is passed by Parliament.

कार्य मन्त्रणा समिति की द्वितीय प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

The Committee met in the Chamber of the Speaker, on Thursday, the 17th August, 1972, be transacted as follows:-

1. Question Hour.

2. Presentation of Supplementary Estimates (First Installment) 1972-73.

3. (i) Presentation of Report of the Estimates Committee on the Supplementary Estimates (First Installment) 1972-73

(ii) Presentation of the Fourth Report of the P.A.C.

4. Introduction, consideration and passing of:-

(1) The Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1972.

(2) The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Validation) Bill, 1972.

(3) The Punjab Separation of Judicial and Executive Functions (Haryana Amendment) Bill, 1972.

(4) The Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1972.

5. Official Resolution regarding the repeal of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move:-

That this House agrees with the recommendatins contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि यह सदन कार्य मन्त्रण समिति के द्वितीय प्रतिवेदन मे की गयी सिफारशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि यह सदन कार्य मन्त्रण समिति के द्वितीय प्रतिवेदन मे की गयी सिफारशें स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुपूरक अनुमान (प्रथम किश्त) 1972—73 का पेश करना

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 1972-73.

अनुपूरक अनुमान (प्रथम किश्त) 1972—73 पर प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पेश करना

Chairman, Estimates Committee (Ch. Amir Chand Kakar): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 1972-73.

लोक लेखा समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन पेश करना

Chairman, Public, Accounts Committee (Ch. Ishwar Singh): Sir, I beg to present the Fourth Report of the Public Accounts Committee for the year 1972-73.

पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1972—73

Development Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, I beg to introduce the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1972 (पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1972).

Sir, I also beg to move:-

That Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, (पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः श्री श्याम चन्द जी आप कुछ बोलेंगे ?

श्री श्याम चन्दः नहीं जी।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) विधेयक), पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) विधेयक), पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 1 की सब–क्लाज (2)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि क्लाल 1 की सब क्लाज (2) विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि क्लाल 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1 की सब–क्लाज (1)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः–

कि क्लाल 1 की सब क्लाज (1) विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः–

कि शीर्षक बिल का शीर्षक हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Sh. Shyam Chand: Sir, I beg to move:-

That Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, (पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः–

कि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) विधेयक), पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः–

कि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) विधेयक), पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस (हरियाणा वैलिडेशन) बिल, 1972

Agriculture Minister (Ch. Bhajan Lal): Sir, I beg to introduce, the Punjab Agriculture Produce Markets (Haryana Validation) Bill, 1972, (पंजाब कृषि उपज मंडी (हरियाणा मान्यीकरण) विधेयक, 1972)

Sir, I also beg to move:-

That the Punjab Agriculture Produce Markets (Haryana Validation) Bill (पंजाब कृषि उपज मंडी (हरियाणा मान्यीकरण) विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा वेलीडेशन) बिल, (पंजाब कृषि उपज मंडी, (हरियाणा मान्यीकरण) विधेयक), पर तुरन्त विचार किया जाए।

चौधरी चांद राम (बवैन एस0सी0): स्पीकर साहब, बात यह है कि वह तो अंग्रेजी में बोलते हैं और आप हिन्दी में बोलते

हैं। प्रोसीजर के हिसाब से वही लफ्ज आपको रिपीट करने चाहिए। यानी अग्रेजी में अगर प्रस्ताव मूव किया जाए तो आप भी अंग्रेजी में बोले और अगर हिन्दी में मूव हो तो आप भी हिन्दी में बोलें।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): यह जरूरी नहीं है। विधान सभा की दोनों भाषाएं हैं।

श्री अध्यक्ष: सदन की दोनों भाषाएं हैं। मैं तो माननीय मंत्री से भी कहूंगा कि वे हिन्दी मे बोलें (व्यवधान)। क्या कोई सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है:–

कि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा वेलीडेशन) बिल, (पंजाब कृषि उपज मंडी, (हरियाणा मान्यीकरण) विधेयक), पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है:–

कि क्लाल 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि क्लाल 1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि शीर्षक बिल का शीर्षक हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): मैं प्रस्ताव करता हूंः—

कि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा वेलीडेशन) बिल, (पंजाब कृषि उपज मंडी, (हरियाणा मान्यीकरण) विधेयक), पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा वेलीडेशन) बिल, (पंजाब कृषि उपज मंडी, (हरियाणा मान्यीकरण) विधेयक), पारित किया जाए।

चौधरी चांद राम (बवैन, एस0सी0): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसमें कोई ज्यादा बोलने वाली बात नहीं है लेकिन मं एक बात जरूर कहूंगा चाहे चीफ मिनिस्टर साहब इस बात से गुस्सा हों (व्यवधान)। अब एक बात तो जाहिर है कि दफा पांच के तहत नोटिफिकेशन जारी हुई और उसके बाद दफा छः के तहत जब नोटिफिकेशन हुई तो बीस गांव और शामिल कर लिए गए। यह आपका कसूर नहीं है लेकिन आपके पास ला डिपार्टमैंट हैं, लीगल रिमेमब्रेन्सर हैं और नीचे से ड्राफ्ट बनता हैं, ला डिपार्टमैंट में उस पर विचार किया जाता है, लीगल रिमेमब्रेन्सर उसको देखता है तो फिर यह कैसे गलती रह गई कि जब दफा पांच के अन्डर नोटिफिकेशन हुआ तब तो कुछ नहीं था और दफा छः के अन्डर हुए नोटिफिकेशन में बीस गांव शामिल कर लिए। यही गल्तियां जब हाई कोर्ट में जाती हैं तो वहां इनवैलिड हो जाती है।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, यह हमारी गलती नहीं है। 1961 की यह गलती है। यह इनके वक्त की गलती है।

चौधरी चांद रामः मैं यह नहीं कहता कि किसके वक्त की गलती है। सरकार तो कंटीन्युअस है। आमतौर ब्योरोक्रेसी यह कहती है कि हम बहुत सयाने हैं, चतुर हैं। मैं आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूं कि वह कम से कम आफिसर्ज को हिदायत कर दें कि उनके ड्राफ्टिंग में गलती रहती है, उनमें कई चीजें गलत रहती हैं। कई मामलों में दफा 80 के तहत नोटिस

आते हैं और वे उनको देखते नहीं है। सरकार हिदायत जारी कर दे कि दफा 80 के नोटिस अच्छी तरह से पढ़े जाएं और अगर कोई जिम्मेदारी की बात आए तो वह उन पर डाली जाए। यह लोग दफा 80 के नोटिस की परवाह नहीं करते। मैं समझता हूं कि यह मामला गम्भीर है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब की इस बात से सहमत हूं कि यह पुराना मामला है लेकिन मामला गम्भीर है। मैंने तो सिर्फ सरकार की तवज्जुह इस तरफ इसलिए दिलाई है कि सरकार के पास ला डिपार्टमैंट है और सरकार ऐसा हिदायत जारी कर दे कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा कि यह गलती 1961 की है और हम तो इनकी गलती सुधारने लगे रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी गल्तियां की हुई हैं हम उनका सुधार कर रहे हैं। इस मामले में भी सरकार ने महसूस किया कि यह गलत है और यह दुरूस्त होनी चाहिए।

चौधरी चांद रामः उस वक्त भी कांग्रेस की गवर्नमैंट थी और आज भी कांग्रेस की गवर्नमैंट है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा वेलीडेशन) बिल, (पंजाब कृषि उपज मंडी, (हरियाणा मान्यीकरण) विधेयक), पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंजाब सैप्रेशन आफ जुडिशियल ऐंड एग्जैक्टिव फंक्शंज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1972

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab Separation of Judicial and Executive Functions (Haryana Amendment) Bill, 1972 (पंजाब न्यायिक तथा कार्यपालक कृत्यों का पृथ्क्करण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1972)

Sir, I also beg to move:-

That the Punjab Separation of Judicial and Executive Functions (Haryana Amendment) Bill (पंजाब न्यायिक तथा कार्यपालक कृत्यों का पृथ्क्करण (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि पंजाब सैप्रेशन आफ जुडिशियल ऐंड ऐग्जैक्टिव फंक्शंज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब न्यायिक तथा कार्यपालक कृत्यों का पृथक्करण (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाए।

चौधरी चांद राम (बबैन, एस0सी0): स्पीकर साहब, वैसे तो इसमें कोई ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है पर इस बारे में गवर्नमैंट ने जो फैसला किया है कि जो पावर्ज पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को थी, अब वह इस संशोधन के द्वारा

एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट को दी जाती है, मुझे यह समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया है ? हमें तो जुडिशियरी पर ज्यादा विश्वास होता है और जुडीशियरी को ज्यादा अख्तयारात होते हैं। इसके आब्जेक्टस और रीजनज जो हैं, उसमें यह दिया हुआ है कि:—

"The Government have decided that the pwers under section 5 of the Idntifiaction of Prisoners' Acts, 1920, should be exercised by the Executie Magistrates only."

स्पीकर साहब, जो आखिर में 'ओनली' का शब्द इन्होंने लगाया है, मैं समझता हूं कि अगर उसको हटा देते तो अच्छा था पर ऐसा क्यों किया जा रहा है, गवर्नमैंट को इसकी वजह ब्यान करनी चाहिए।

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं पोजीशन क्लीयर कर देता हूं। यह जो अमैंडमैंट हम ला रहे हैं, यह हाईकोर्ट के ही कहने पर ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है:—

कि पंजाब सैप्रेशन आफ जुडिशियल ऐंड ऐग्जैक्टिव फंक्शंज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब न्यायिक तथा कार्यपालक कृत्यों का पृथक्करण (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि क्लाल 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि क्लाल 1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि शीर्षक बिल का शीर्षक हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Ch. Bansi Lal: Sir, I beg to move:-

That the Punjab Separation of Judicial and Executive Functions (Haryana Amendment) Bill (पंजाब न्यायिक

तथा कार्यपालक कृत्यों का पृथ्क्करण (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि पंजाब सैप्रेशन आफ जुडिशियल ऐंड ऐग्जैक्टिव फंक्शंज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब न्यायिक तथा कार्यपालक कृत्यों का पृथक्करण (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि पंजाब सैप्रेशन आफ जुडिशियल ऐंड ऐग्जैक्टिव फंक्शंज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब न्यायिक तथा कार्यपालक कृत्यों का पृथक्करण (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंजाब मोटर वैहिकल्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1972

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1972 (पंजाब मोटर गाड़ी कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1972).

Sir, I also beg to move:-

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill (पंजाब मोटर गाड़ी कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि पंजाब मोटर वैहिकल्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब मोटर गाड़ी कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाए।

चौधरी चांद रामः अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल पर तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। जो कुछ इस में है वह खुशी की बात है, ठीक है पर चीफ मिनिस्टर साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि एक और मामले में जब लोग मोटरकार का टोकन टैक्स देते हैं तो उसमें अगर कोई किसी क्वार्टर का टैक्स नहीं देता हैं तो उसमें किताब जमा करानी पड़ती है, तब जाकर वह जमा होता है। रूल्ज में और जो मेन प्रोवीजन आफ दी एक्ट है वह कन्फलिक्ट करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगाः—

चौधरी बंसी लालः कौन सी सैक्शन है ?

चौधरी चांद रामः वो इसका सैक्शन नहीं, शायद दूसरा एक्ट है।

चौधरी बंसी लालः सैक्शन बता दो, उसको एग्जामिन कर लेंगे।

चौधरी चांद रामः सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी ने प्वायंट आउट कर दिया था और गवर्नमैंट ने भी ऐग्री कर लिया था यानी जो वहां सरकारी आफिसर्ज हैं, उन्होंने ऐग्री कर लिया था।

चौधरी बंसी लालः अगर बता दो तो शायद इसी सैशन में ला दें।

चौधरी चांद रामः वह तो सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की रिपोर्ट में मौजूद है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि पंजाब मोटर वैहिकल्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब मोटर गाड़ी कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि क्लाल 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि क्लाल 1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि शीर्षक बिल का शीर्षक हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Ch. Bansi Lal: Sir, I beg to move:-

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill (पंजाब मोटर गाड़ी कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि पंजाब मोटर वैहिकल्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब मोटर गाड़ी कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि पंजाब मोटर वैहिकल्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब मोटर गाड़ी कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरकारी संकल्प

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move:-

"Whereas that Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970 (hereinafter referred to as the said Act), was passed by Parliament under clause (1) of Article 252 of the Constitution of India.

And whereas it is felt that in the day to day working, the State Government is likey to come across certain difficulties and lacuna in the said Act, which would necessitate the amendments thereof; and the procedure prescribed in clause (2) of Article 252 of the Constitution of Inida is very cumbersome and time consuming;

And whereas it is intended to repeal the said Act;

And whereas cluase (2) of Article 252 of the Constitution of India provides that any Act, passed by Parliamen under clause (1) of Article 252 thereof, may be amended or replealed by an Act of Parliament in the like manner but shall not, as respects any State to which it applies, be amended or repealed by an Act of Legislaure of that State;

And whereas it appears to this Assembly to be desirable that such legislation should be undertaken by Parliament;

Now, therefore, in pursuance of clause (2) of Article 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the Haryana and Punjab Agicultural Universities Act, 1970, should be repealed by Parliament by law."

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः—

'क्योंकि हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (जिसे यहां इसके आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन संसद द्वारा पारित किया गया था।

और

क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि नित्य प्रति के कार्यकरण में, राज्य सरकार को उक्त अधिनियम में कुछ ऐसी कठिनाइयां तथा न्यूनताएं सामने आने की सम्भावना है जिनसे उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 (2) में विहित की गई प्रक्रिया बड़ी दुष्कर तथा समय लेने वाली है।

और

क्योंकि उक्त अधिनियम को निरसित करने का विचार है।

और

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 का खण्ड (2) उपबन्ध करता है कि उसके अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन संसद द्वारा पारित किया गया कोई अधिनियम उसी रीति से संसद के अधिनियम द्वारा संशोधित अथवा निरसित किया जा सकेगा, किन्तु किसी ऐसे राज्य के सम्बन्ध में, जहां कि वह लागू है, उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा संशोधित अथवा निरसित नहीं किया जाएगा।

और

क्योंकि इस सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद ऐसी विधि व्यवस्था करे।

इसलिए, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में यह सभा एतद् द्वारा संकल्प करती है कि हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 को संसद विधि द्वारा निरसित करे।'

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी मारफत गवर्नमैंट को पत्र लिखा था, जिसका मुझे उत्तर आया था कि आपको पत्र सरकार को फारवर्ड कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा था कि रेजोल्यूशन की बाडी में लिखा हुआ है कि सर्टेन डिफिकल्टीज और लैकूना हैं। जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि वह लैकूना

और डिफिकलटीज क्या हैं तो तब तक ह उनके बारे में अपने विचार क्या दे सकते है। स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत चीफ मिनिस्टर साहब से यह गुजारिश करूंगा कि वह इस मामले में कुछ थोड़ा सा बता देते तभी इस मामले पर डिस्कशन हो सकती थी।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब इस का असली परपज हमारा यह है, इस रैजोल्यूशन को पास करने का कि रिआरगेनाईजेशन आफ पंजाब ऐक्ट के तहत कोई भी यूनाईटिड पंजाब के वक्त के जो ऐक्ट थें उनमें हम किसी किस्म की तरमीम नहीं कर सकते जब तक कि सैंट्रल गवर्नमैंट की परमीशन बहुत से ऐक्ट्स के बारे में न ले लें। पंजाब का एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जो हमारा ऐक्ट था उसमें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना थी और हिसार उस वक्त एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यूनिनवर्सिटी लुधियाना का एक कम्पलैक्स था, बाद में इसको एक अलग यूनिनवर्सिटी बनाया गया एक सैट्रल ऐक्ट के मातहत और एग्रीकल्चर सबजैक्ट जो है वह सबजैक्ट स्टेट का। तो हम यह चाहते हैं कि पार्लियामैंट उस एक्ट को रिपील कर दे और हम अपनी स्टेट के लिए अपना कानून वही दोबारा फिर से एनक्ट कर दें।

चौधरी राम लाल वधवाः इसमें तो कोई औब्जैक्शनेबल बात नहीं है, हम स्पोर्ट करते है कि बनना चाहिए।

चौधरी बंसी लालः थेंक यू।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

'क्योंकि हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (जिसे यहां इसके आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन संसद द्वारा पारित किया गया था।

और

क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि नित्य प्रति के कार्यकरण में, राज्य सरकार को उक्त अधिनियम में कुछ ऐसी कठिनाइयां तथा न्यूनताएं सामने आने की सम्भावना है जिनसे उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 (2) में विहित की गई प्रक्रिया बड़ी दुष्कर तथा समय लेने वाली है।

और

क्योंकि उक्त अधिनियम को निरसित करने का विचार है।

और

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 का खण्ड (2) उपबन्ध करता है कि उसके अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन संसद द्वारा पारित किया गया कोई अधिनियम उसी रीति से संसद के अधिनियम द्वारा संशोधित अथवा निरसित किया जा

सकेगा, किन्तु किसी ऐसे राज्य के सम्बन्ध में, जहां कि वह लागू है, उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा संशोधित अथवा निरसित नहीं किया जाएगा।

और

क्योंकि इस सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद ऐसी विधि व्यवस्था करे।

इसलिए, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में यह सभा एतद् द्वारा संकल्प करती है कि हरियाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 को संसद विधि द्वारा निरसित करे।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः सदन सोमवार दिन के दो बजे मध्यान्होपरान्त तक स्थगित किया जाता है।

10.32 प्रातः

(तत्पश्चात् सभा 2.00 बजे मध्यान्होपरांत, सोमवार, 21 अगस्त, 1972 तक के लिए स्थगित हुई।)